राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 2180/2014/अलवर.

मैसर्स ताम्रधातु उद्योग प्रा. लि.,
एफ–58, रीको इण्डस्ट्रियल एरिया, भिवाड़ी, अलवर. .....अपीलार्थी.

बनाम

1. वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, राज. जोन–प्रथम, जयपुर
2. उपायुक्त (अपील्स) वाणिज्यिक कर, अलवर .....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ
श्री मनोहर पुरी, सदस्य
श्री राजीव चौधरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री सिद्धार्थ रांका, अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.
श्री डी. पी. ओझा,
उप–राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 03/06/2016

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी ने अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, अलवर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या 117/सीएसटी/2013–14/अपी.प्राधि./अलवर में पारित किये गये आदेश दिनांक 17.11.2014, के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, वृत्त–प्रथम, जयपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) के द्वारा केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम 1956 (जिसे आगे **'केन्द्रीय अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 9 सपठित वेट अधिनियम की धारा 25, 55 व 61 के तहत पारित आदेश दिनांक 08.10.2013 में निर्धारित कर रूपये 31,45,445/– आरोपित शास्ति रूपये 62,90,890/– व ब्याज रूपये 3,77,453/– कुल मांग राशि रूपये 98,13,788/– को विवादित किया गया था, में आरोपित कर, शास्ति व ब्याज को यथावत रखा जा कर अपीलकर्ता की अपील खारिज की गई थी, को अपीलार्थी द्वारा विवादित किया गया है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, राजस्थान, घट–तृतीय, वृत्त–प्रथम, जयपुर (जिसे आगे **'जांच अधिकारी'** कहा जायेगा) के द्वारा मय टीम दिनांक 22.01.2013 को व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण अपीलार्थी व्यवहारी के अधिकृत प्रतिनिधि श्री रघुनदंन छीपा तथा श्री गोपाल खण्डेलवाल की उपस्थिति में किया गया। जांच में यह निष्कर्षित किया गया कि अपीलार्थी व्यवहारी ने आलौच्य अवधि में Stranded Copper Conductor की रूपये 6,29,08,909.00 कीमत की अन्तर्राज्यीय

03/06/16

लगातार.....2

बिक्री की गई है परन्तु कर दायित्व से बचने के लिए उक्त बिक्री को जॉब वर्क के रूप में दर्शाकर करापवंचन किया गया है। अतः इस आधार पर केन्द्रिय अधिनियम की धारा 9 सपठित वेट अधिनियम की धारा 25, 55 व 61 के तहत आदेश पारित करते हुए निर्धारित कर रूपये 31,45,445/– आरोपित शास्ति रूपये 62,90,890/– व ब्याज रूपये 3,77,453/– कुल मांग राशि रूपये 98,13,788/– सृजित की गई।

3. अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलीय प्राधिकारी का आदेश दिनांक 17.11.2014 जिसमें कर निर्धारण अधिकारी के आदेश दिनांक 08.10.2013 को यथावत रखा है, अविधिक है, तथा अपास्त किये जाने योग्य है। निम्नतर प्राधिकारियों का यह निष्कर्ष कि Stranded Copper Wire Conductor का जॉब वर्क मैसर्स रजनीगंधा केबल प्रा. लि., के लिये नहीं किया गया था, तथा बिक्री की गई थी, वह आधारहीन व अविधिक है।

4. अपीलार्थी व्यवहारी एक प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी है जिसका पंजीकृत कार्यालय कोलकाता मे है। अपीलार्थी द्वारा कॉपर, आयरन व जिंक की ट्रेडिंग व मैन्युफैक्चरिंग का कार्य किया जाता है। अपीलार्थी द्वारा व्यापारिक प्रयोजन के लिए भारत के बाहर से माल आयात भी किया जाता है। अपीलार्थी कम्पनी की विभिन्न ईकाईयां देश के विभिन्न भागों यथा भिवाड़ी (राजस्थान), बडी (हिमाचल प्रदेश), कोलकता (पश्चिम बंगाल), वड़ोदरा, गांधीधाम (गुजरात), मुम्बई (महाराष्ट्र) इत्यादि में अवस्थित है। अपीलार्थी व्यवहारी दिनांक 20.05.2009 से वेट अधिनियम व केन्द्रीय अधिनियम के अधीन पंजीकृत है तथा टिन क्रमांक 08900854967 का धारक है। दिनांक 22.01.2013 को अपीलार्थी व्यवहारी का भिवाड़ी में सर्वेक्षण वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों द्वारा किया गया। जांच अधिकारी द्वारा दिनांक 29.05.2013 को भेजी गई जांच रिपोर्ट के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी ने दिनांक 05.06.2013 को नोटिस जारी किया गया। नोटिस में आक्षेपित किया गया कि अपीलार्थी व्यवहारी ने आयरन स्क्रेप बेचा है लेकिन करापवंचन करने की नियत से अपनी दूसरी शाखाओं को स्टॉक ट्रांसफर किया है। जारी किये गये कारण बताओ नोटिस में कर निर्धारण अधिकारी ने अपनी राय बना कर कार्यवाही प्रस्तावित की है, जो कारण बताओ नोटिस की परिभाषा में नहीं आती है। इस सम्बन्ध में निम्न न्यायिक दृष्टातों का उल्लेख किया। ORYX Fisheries Pvt. Ltd. 2011 (266) ELT 422 (SC); Siemens Ltd (2007) 207 ELT 166 (SC), Moriroku Ut India Pvt. Ltd. (2007)7 VST 482 (All.).

5. कर निर्धारण अधिकारी के आदेश से स्पष्ट है कि उन्होंने जांच अधिकारी की जांच रिपोर्ट पर आश्रित रहे हैं तथा अपने मस्तिष्क का उपयोग नहीं किया है तथा प्रस्तुत दस्तावेंजो पर विचार नहीं किया है।

लगातार.....3

03/06/16

6. अपीलार्थी व्यवहारी ने मैसर्स रजनीगंधा केबल्स प्रा. लि., बडी (हिमाचल प्रदेश) में अवस्थित है के लिए Continuous Cast Copper Wire Rod (जिसे आगे **'CCCWR'** लिखा जायेगा) का Fabrication/Job work into Standed copper wire conductor (जिसे आगे 'SCWC' लिखा जायेगा) किया तथा उसे वापिस उनको भिजवा दिया गया। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा इस प्रकार का जॉब वर्क अन्य विनिर्माता के लिए भी किया जाता है। कर निर्धारण वर्ष 2012–13 में अपीलार्थी व्यवहारी ने जॉब वर्क के पेटे रूपये 1.40 करोड़ रूपये प्राप्त किये जिनको अंकेक्षित लाभ हानि खाते में प्रदर्शित किया है। कर निर्धारण अधिकारी ने केवल रजनीगंधा केबल्स प्रा. लि., के लिये किये गये जॉब वर्क को ही बिक्री माना है जबकि अन्य ऐसे विनिर्माताओं के लिए भी जॉब वर्क किया गया। वर्ष 2012–13 में अपीलार्थी व्यवहारी ने मैसर्स रजनीगंधा केबल्स प्रा. लि., से Continuous Cast Copper Wire Rod का Fabrication/Job work into Standed copper wire conductor में करने के लिए आदेश प्राप्त हुए है। मैसर्स रजनीगंधा केबल्स प्रा. लि. ने CCCWR जो कच्चा माल है मैसर्स स्टरलाईट इण्डस्ट्रीज, जयपुर (वेदांता ग्रुप की एक ईकाई) से खरीदा तथा उसे निर्देशित किया की इस माल की डिलीवरी जॉब वर्कर के प्रतिष्ठान पर दी जाये। क्रय आदेशों से स्पष्ट है कि मैसर्स रजनीगंधा केबल्स प्रा. लि. ने 8 एमएम डाईमीटर का CCCWR की खरीद की है। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा जॉब वर्क में CCCWR को विभिन्न साईजों यथा 0.283 एमएम, 0.284 एमएम, 0.234 एमएम व 0.235 एमएम के SCWC में कनवर्ट किया जाता है। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा मुख्य विनिर्माता मैसर्स रजनीगंधा केबल्स प्रा.लि., द्वारा जॉब वर्क हेतु ई–मेल/दूरभाष संदेश से निर्देश दिये जाते है तथा उन निर्देशों की पालना में जॉब वर्क करने के पश्चात पुनः उपयोग हेतु भेज दिया जाता है।

7. अपीलार्थी व्यवहारी ने कर निर्धारण प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित समस्त संबंधित दस्तावेज कर निर्धारण अधिकारी को उपलब्ध करा दिये थे :–

A. मुख्य विनिर्माता मैसर्स रजनीगंधा केबल्स प्रा.लि., द्वारा मैसर्स स्टरलाईट इण्डस्ट्रीज लि., को दिये गये खरीद आदेश की प्रति, कर निर्धारण अधिकारी को उपलब्ध करा दिये थे।

B. मैसर्स स्टरलाईट इण्डस्ट्रीज लि., द्वारा मैसर्स रजनीगंधा केबल्स प्रा.लि., को बेचे गये माल के टैक्स इनवोइस की प्रति

C. ट्रांसपोर्टर द्वारा मैसर्स स्टरलाईट इण्डस्ट्रीज लि., से कच्चा माल अपीलार्थी व्यवहारी के भिवाड़ी प्रतिष्ठान पर माल परिवहन करने की बिल्टी की प्रति

D. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा मैसर्स रजनीगंधा केबल्स प्रा.लि., को जारी किये गये टैक्स कम एक्साईज इनवोईस की प्रति

03/06/16

लगातार.....4

E. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा मैसर्स रजनीगंधा केबल्स प्रा.लि., को जारी जॉब वर्क बिल की प्रति

F. एक्साईज डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी एक्साईज घोषणा की प्रति VAT XXVI-A

G. अपीलार्थी व्यवहारी के प्रतिष्ठान भिवाड़ी से मैसर्स रजनीगंधा केबल्स प्रा.लि., को परिवहनित SCWC के संबंध में ट्रांसपोर्टर द्वारा जारी बिल्टी की प्रति

H. एक्साईज रजिस्टर व एक्साईज रिटर्न की प्रति

I. वर्क ऑर्डर के संबंध में प्रमुख विनिर्माता के साथ विनिमय हुए ई–मेल की प्रतियां।

8. कर निर्धारण अधिकारी ने जॉब वर्क को केवल इसीलिये जॉब वर्क नहीं माना क्योंकि अपीलार्थी व्यवहारी ने प्रमुख विनिर्माता के साथ लिखित करार की प्रति प्रस्तुत नहीं की। लिखित करार किसी विधिक प्रावधान में आज्ञापक नहीं है। कर निर्धारण अधिकारी ने केवल अपने अनुमानों, अपनी कल्पनाशक्ति, अनुमान के आधार पर एक्साईज लॉ को बिना समझे हुए जॉब वर्क संव्यवहारों को अंर्तराज्यीय बिक्री मानते हुए करारोपण किया।

8. बहस में अपने कथन के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये:

A. CCE v. Cosme Farma Laboratories Ltd. (Civil Appeal no. 1761 of 2007) dated 07/04/2015

B. M/s Krishna Electricals v. State of Tamil Nadu & Ors reported in 2009-23 VST 249,

C. Assistant Commissioner, Udaipur v. M/s Cottage Industries Exposition Limited reported in 2008-22-Tax Uptade 289

D. CTO v. M/s Durgeshwari Food Limited (2012) Tax Update 03

E. M/s Hewlett Packard India Sales Pvt. Ltd. v. Assistant Commissioner, Anti Evasion, Zone-II, Jaipur reported in 25 Tax Update 189

F. M/s Sadhwani Traders, Jaipur v. CTO, Anti Evasion, Zone-II, Jaipur reported in 27 Tax Update-43

G. Singhal Aeromatics v. CTO (2009) 25 Tax Update 189

H. Ram Singh Garg & Sons v. CTO (RHC dated 19/06/2007)

I. CTO v. Rajdhani Wines (RHC) 87 STC 362

J. Hindustan Steel Ltd. v, State of Orissa 1978 (2) ELT J159

K. Cement Marketing v. Assisstant Commissioner of Sales Tax [(1980) 1 SCC 71]

L. CTO v. Sojat Lime Co. [1989] 74 STC 288 (Raj.)

M. Lord Venkateshwara Caterers v. CTO (2007) 10 VST 535 (Raj.)

N. ACTO-III, Jaipur v. National Engineering Industries Ltd. S.B. STR no. 43/2006 date of order 10/01/2007

03/06/16

लगातार.....5

O. Appeal no. 3000/2005/ Udaipur CTO-C, Udaipur v. M/s Tyre Technocath Pvt. Ltd. date 07/11/2006

9. अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में प्रस्तुत किये गये तर्कों, दस्तावेजों व न्यायिक दृष्टातों के आधार पर अपील स्वीकार करने व कर निर्धारण अधिकारी के आदेश को अपास्त करने की प्रार्थना की गई।

10. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन किया तथा अपीलार्थी की अपील अस्वीकार करने की प्रार्थना की।

11. उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया तथा विवादाधीन आदेश का अध्ययन किया गया तथा विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टातों का ससम्मान अध्ययन किया गया।

12. हस्तगत प्रकरण में विवाद का बिन्दू यह है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा मैसर्स रजनीगंधा केबल्स प्रा.लि., द्वारा जॉब वर्क हेतु भेजे गये माल को आदेशानुसार जॉब वर्क करने के पश्चात् रजनीगंधा केबल्स प्रा.लि., को भेजा गया है। यह संव्यवहार जॉब वर्क निष्पादित करने के संव्यवहार है? अथवा केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अधीन अर्न्तराज्यीय व्यापार के क्रम में किये गये संव्यवहार है?

13. अपीलार्थी व्यवहारी से मैसर्स रजनीगंधा केबल्स प्रा.लि., द्वारा 8 एमएम डाईमीटर का CCCWR की खरीद की जाकर तथा जॉब वर्क में CCCWR को विभिन्न साईजों यथा 0.283 एमएम, 0.284 एमएम, 0.234 एमएम व 0.235 एमएम के SCWC में कनवर्ट करवाया जाता है।

14. मैसर्स रजनीगंधा केबल्स प्रा.लि., बडी(हिमाचल प्रदेश) द्वारा मैसर्स स्टरलाईट इण्डस्ट्रीज इण्डिया लिमिटेड से खरीद कर उसको खरीदे हुए माल को निर्देशित जॉब वर्क कराने के लिए मैसर्स ताम्र धातु उद्योग प्रा.लि., भिवाड़ी को डिलिवरी देने हेतु आदेशित किया हुआ है। विक्रेता मैसर्स स्टरलाईट इण्डस्ट्रीज द्वारा क्रेता मैसर्स रजनीगंधा केबल्स प्रा.लि., बडी(हिमाचल प्रदेश) के पक्ष में समस्त इनवोईस जारी किये गये है। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा जॉब वर्क निष्पादित करने के पश्चात् इनवोईस मैसर्स रजनीगंधा केबल्स प्रा.लि., बडी (हिमाचल प्रदेश) के पक्ष में जारी किये है, तथा जॉब वर्क करने के पश्चात् माल मैसर्स रजनीगंधा केबल्स प्रा. लि., बडी (हिमाचल प्रदेश) को प्रेषित किया गया, तथा हिमाचल प्रदेश सरकार के एक्साईज एवं टैक्सेशन विभाग में उनके फार्म वैट XXVI-A में घेषणा की जाती है। अपीलार्थी व्यवहारी ने जॉब वर्क निष्पादित करने पर एक्साईज इनवोईस में एक्साईज ड्यूटी वसूल की है। वर्ष 2012–13 में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा किये गये जॉब वर्क का विस्तृत विवरण निम्नाकिंत तालिका के अनुसार है:–

लगातार.....6

03/06/16

Material Supplied for job Works from 01.04.2012 to 31.03.2013 to Tamra Dhatu Udyog Pvt. Ltd.									
S.No.	Bill No.	Date	Material Supplied for job works from	Qty. Receive by Jobworker in Kgs.	Qty.	Material Dispatch by Jobworks	Job Work Bill No.	Job Work Bill Date	Balance
1.	1642	20.06.2012	Sterlite Industries Ltd.	8028.000	8028.000	6200.900	141	05.07.2012	1827.100
2.					1827.100	1392.000	147	09.07.2012	435.100
3.	1699	22.06.2012	Sterlite Industries Ltd.	6039.000	6474.100	2136.500	147	09.07.2012	4337.600
4.	1700	22.06.2012	Sterlite Industries Ltd.	2968.000	7305.600				7305.600
5.	2038	11.07.2012	Sterlite Industries Ltd.	7863.000	15168.600	8635.900	160	18.07.2012	6532.700
6.	2066	16.07.2012	Sterlite Industries Ltd.	8938.000	15470.700	8528.700	168	23.07.2012	6942.000
7.	2182	25.07.2012	Sterlite Industries Ltd.	9203.000	16145.000	7124.700	189	01.08.2012	9020.300
8.	2359	03.08.2012	Sterlite Industries Ltd.	7841.000	16861.300	2606.200	192	03.08.2012	14255.100
9.					14255.100	4962.700	209	12.08.2012	9292.400
10.	2450	13.08.2012	Sterlite Industries Ltd.	7960.000	17252.400	4164.600	213	14.08.2012	13087.800
11.					13087.800	6799.000	217	17.08.2012	6288.800
12.					6288.800	3612.600	227	21.08.2012	2676.200
13.	2727	30.08.2012	Sterlite Industries Ltd.	8977.000	11653.200	8096.000	248	02.09.2012	3557.200
14.					3557.200	3541.300	264	11.09.2012	15.900
15.	3523	23.10.2012	Sterlite Industries Ltd.	7938.000	7953.900	7852.000	335	31.10.2012	101.900
16.	3809	09.11.12012	Sterlite Industries Ltd.	7953.000	8054.900	7847.100	360	17.11.2012	207.800
17.	4171	30.11.2012	Sterlite Industries Ltd.	9090.00	9297.800	8958.100	358	04.12.2012	339.700
18.	4408 & 4407	17.12.2012	Sterlite Industries Ltd.	17789.00	18128.700	7537.900	418	25.12.2012	10590.800
19.					10590.800	5138.900	431	04.01.2012	5451.900
20.	4672	31.12.2012	Sterlite Industries Ltd.	3921.00	9372.900				9372.900
21.					9372.900	6698.600	437	08.01.2012	2674.300
22.					2674.300	2366.600	464	28.01.2013	307.700
23.	5364	16.02.2013	Sterlite Industries Ltd.	7885.00	8192.700				8192.700
24.					8192.700	7382.800	501	22.02.2013	809.900
25.	5482	25.02.2013	Sterlite Industries Ltd.	8923.00	9732.900	7318.050	507	27.02.2013	2414.850
26.	5601	01.03.2013	Sterlite Industries Ltd.	8881.00	11295.850	7250.350	516	04.03.2013	4045.500
27.	5664	07.03.2013	Sterlite Industries Ltd.	7949.00	11994.500	7292.350	524	09.03.2013	4702.150
28.					4702.150	4591.750	534	14.03.2013	110.400
29.	5837	16.03.2013	Sterlite Industries Ltd.	9036.00	9146.400	3023.400	540	16.03.2013	6123.000
30.					6123.000	5783.950	543	19.03.2013	339.050
31.	5874	19.03.2013	Sterlite Industries Ltd.	2949.00	3288.050				3288.050
32.	5873	19.03.2013	Sterlite Industries Ltd.	5909.00	9197.050	6239.000	547	20.03.2013	2958.050
33.	5919	20.03.2013	Sterlite Industries Ltd.	5963.00	8921.050				8921.050
34.					8921.050	7167.900	557	25.03.2013	1753.150
35.					1753.150	1422.000	560	29.03.2013	331.150
36.	6008	29.03.2013	Sterlite Industries Ltd.	5976.00	6307.150	6011.600	562	29.03.2013	295.550
		31.03.2013	Sterlite Industries Ltd.	5973.00	6268.550				6268.550

03/06/16

लगातार.....7

15. कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा किये जॉब वर्क को निम्न कारणों से जॉब वर्क स्वीकार नहीं किया:–

A. अपीलार्थी व्यवहारी एवं मैसर्स रजनीगंधा केबल्स प्रा.लि., बडी(हिमाचल प्रदेश) के बीच जॉब वर्क हेतु कोई एग्रीमेंट प्रस्तुत नहीं करने के कारण तथा जॉब वर्क स्वीकार नहीं किया गया।

B. अपीलार्थी व्यवहारी को जॉब वर्क हेतु भेजी गई वस्तु Continuous Cast Copper Wire Rod (शोर्ट में CCCWR लिखा जायेगा) होने तथा जॉब वर्क पश्चात् भेजी गई वस्तु Standed copper wire conductor (शोर्ट में SCWC लिखा जायेगा) भिन्न वस्तु होने के कारण।

C. जॉब वर्क हेतु प्राप्त हुए माल व भेजे हुए माल की मात्रा में अन्तर होने के कारण।

16. कर निर्धारण अधिकारी ने जांच अधिकारी की जांच रिपोर्ट एवं अभियोजन अधिकारी की अनुशंसा एवं अपने स्वकल्पित मान्यता के आधार पर जॉब वर्क की गतिविधि को अस्वीकार करके अर्न्तराज्यीय बिक्री मान लिया गया। कर निर्धारण अधिकारी ने सम्पूर्ण प्रकरण में केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 के प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में अर्न्तराज्यीय बिक्री प्रमाणित करने का कोई प्रयास नहीं किया।

17. माननीय उच्चतम न्यायालय ने टाटा इंजिनियरिंग एवं लोकोमोटिव कम्पनी बनाम सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर, जमशेदपुर व अन्य न्यायिक दृष्टांत **(1970) 26 एसटीसी 354** में निम्न व्यवस्था दी है :–

"Instead of looking into each transaction in order to find out whether a completed contract of sale had taken place, which could be brought to tax only if the movement of vehicles from Jamshedpur had been occasioned under a covenant or incident of that contract, **the Assistant Commissioner wrongly based his order on mere generalities. The Assistant Commissioner, on whom the duty lay of assessing the tax in accordance with law**, was bound to examine each individual and then decide whether it constituted an inter-State sale exigible to tax under the provisions of the Act.

The Supreme Court accordingly set aside the order of the High Court and of the Assistant Commissioner in so far as the latter related to the assessment in dispute, observing that it would be open to the Assistant Commissioner to make fresh assessment in accordance with law."

18. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने स्टील ऑथोरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड बनाम सहायक आयुक्त जयपुर न्यायिक दृष्टांत (2007) 19 टैक्स अपडेट पेज 128 में निम्न व्यवस्था दी है :–

लगातार.....8

03/06/16

Central Sales Tax Act, 1956, sections 3(a)-Inter State Sales-The Question of law which arose in the present matter was:- Whether the Sale of TOR Steel manufactured on job work basis by M/s. Kamdhenu Ispat Limited, Bhiwadi for Steel Authority of India Limited ('SAIL; for short) in the State of Rajasthan to various customers of Steel Authority of India Limited situated outside the State of Rajasthan amounts to interstate sale by SAIL or not?. While remanding the case back to the assessing, authority, the Rajasthan High Court held that :- **Having heard learned counsels for the parties and given thoughtful consideration to the material before this Court, since position of law is clear that inter-state sale will take place only if the goods moved from one State to another in pursuance of pre-existing contract, this Court is of the opinion that since the burden of proof which lies upon the revenue to establish that such a taxable event of inter-state sale has taken place, has not been sufficiently discharged in the present case, the case deserves to be remanded back to the assessing authority.**

19. हस्तगत प्रकरण में स्पष्ट है कि अपीलार्थी व्यवहारी ने उनके द्वारा किये गये जॉब वर्क संव्यवहारों को दस्तावेजी सबूतों से प्रमाणित किया है। समस्त संव्यवहारों में लागू होने वाले कानूनी प्रावधानों की पालना यथा एक्साईज ड्यूटी वसूल करना एक्साईज रजिस्टर में प्रविष्टियां करने को दस्तावेजों से साबित किया है। कर निर्धारण अधिकारी ने केवल सतही आपत्तियों का उल्लेख करते हुए जॉब वर्क संव्यवहारों को अर्न्तराज्यीय बिक्री के संव्यवहार माने है। किसी भी संव्यवहार की प्रकृति मान कर निर्णित नहीं की जा सकती है। केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 के प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में यह आज्ञापक था कि अन्तर्राज्यीय बिक्री के संव्यवहार प्रमाणित किये जाने चाहिए थे।

20. उपरोक्त पैरा संख्या 17 व 18 में वर्णित माननीय उच्चतम न्यायालय व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की व्यवस्था के प्रकाश में यह निष्कर्षित किया जाता है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा घोषित जॉब वर्क संव्यवहारों को अर्न्तराज्यीय बिक्री के संव्यवहार प्रमाणित करने के भार का निर्वहन करने में कर निर्धारण अधिकारी नितान्त असफल रहे है। केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 की धारा 3(a) के अनुसार अर्न्तराज्यीय बिक्री के संव्यवहार प्रमाणित नहीं किये गये है। दोनों निम्नतर अधिकारियों के आदेश त्रुटिपूर्ण व अपास्त किये जाने योग्य है। उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में अपीलीय अधिकारी के आदेश को अपास्त करते हुए अपीलार्थी व्यवहारी की अपील स्वीकार की जाती है।

21. निर्णय सुनाया गया।

03/06/16
(राजीव चौधरी)
सदस्य

03/06/2016
(मनोहर पुरी)
सदस्य